न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.) निग-1663-PBR-16 (56)

प्रकरण क्रं. /16 निगरानी

1. लक्ष्मीनारायण पिता सूरजसिह खाती,
2. मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण खाती,
3. मनोज पिता लक्ष्मीनारायण खाती

तीनों निवासीगण—अवंतिपुर बडोदिया जिला शाजापुर ——आवेदकगण

विरूद्व

1. श्यामाबाई पति देवेन्द्र, निवासी—बस स्टेण्ड सिहोर
2. रीना पति संतोष निवासी—ग्राम रनायल तहसील काला पीपल जिला शाजापुर
3. सुष्मा पिता जगदीश,
4. माया पिता जगदीश
5. अभिलाषा पिता जगदीश
6. बुलबुल पिता जगदीश
7. सूरज सिंह पिता जालमसिंह सभी निवासी—अंवतीपुर बडोदिया
8. लीलाबाई पति. रामचंद्र, निवासी—तिलावद तहसील काला पीपल
9. रेशमबाई पति कैलाश नारायण, निवासी—धामंदा तहसील इछावर
10. राकेश पिता लक्ष्मीनारायण निवासी—अवंतिपुर बडोदिया जिला शाजापुर

——अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 23/अपील/14—15 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2016 से असंतुष्ट एवं दुखीत होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अंदर अवधि प्रस्तुत करते है :—

01. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

02. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी उचित एवं वैध आधार के आवेदकगण का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

56

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1663-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	